

न्यायालय समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

ई0सी0 वाद सं0-43 / 2015-16

राज्य बनाम रवि शंकर प्रसाद उर्फ सुधानी


आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
17-5-18	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>प्रस्तुत वाद विशिष्ट पदाधिकारी, अनुभाजन, पटना के पत्र सं0 147(अनु0) दिनांक 02.02.2016 के द्वारा मालसलामी थाना कांड सं0 30/2016 में दर्ज प्राथमिकी के आलोक में समर्पित अधिहरण प्रस्ताव के आधार पर प्रारम्भ किया गया।</p> <p>उक्त पत्र के आलोक में प्रश्नगत वाद में दिनांक 25.02.2016 को पारित आदेश द्वारा आरोपी (विपक्षी) को नोटिस निर्गत करते हुए, आदेश दिया गया मालसलामी थाना कांड सं0 30/16 में जप्त भारतीय खाद्य निगम अंकित बोरों में रहने गेहूँ एवं चावल तथा जप्त अन्य सामग्री के पक्ष में यदि कोई साक्ष्य हो तो निर्धारित तिथि को स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा-6ए में प्रदत्त शक्ति के आलोक में सरकारी उपयोग हेतु अनुदानित खाद्यान्न के अवैध भण्डारण के आरोप में जप्त खाद्यान्न को राज्यसात (Confiscate) कर लिया जायेगा।</p> <p>जप्त अवैध रूप से भण्डारित खाद्यान्न को विनिष्टता से बचाने हेतु विशिष्ट पदाधिकारी पदाधिकारी, पटना को बाजार दर पर बिक्री कराकर बिक्री से प्राप्त राशि को कोषागार चालान के माध्यम से सरकारी खजाना में जमा कराने का आदेश दिया गया। विशिष्ट पदाधिकारी, अनुभाजन, पटना के पत्र सं0 782 दिनांक 14.05.2016 द्वारा बिक्री से प्राप्त राशि को कोषागार में जमा कर चालान की छाया-प्रति उपलब्ध करायी गयी है।</p> <p>मामले की सुनवाई में दिनांक 25.02.2016 से 27.01.2018 तक लगातार 11(ग्यारह) तिथियों पर भी विपक्षी (आरोपी) के उपस्थित नहीं होने की स्थिति में स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से विपक्षी को उपस्थित हेतु नोटिस निर्गत किया गया। स्थानीय समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" में दिनांक 15.02.2018 को नोटिस का विज्ञापन प्रकाशित हुआ। इसके बावजूद विपक्षी</p>	


(आरोपी) दिनांक 22.02.2018 से 12.05.18 तक लगातार 03(तीन) तिथियों पर अनुपस्थित रहे। उनके अथवा उनके प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा मालसलामी थाना कांड सं० 30/16 में जप्त खाद्यान्न के सम्बन्ध में किसी माध्यम से कभी भी कोई दावा अथवा मालिकाना अधिकार प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जप्त खाद्यान्न का भंडारण सम्बन्धित परिसर में कालाबाजारी की नीयत से की गयी थी, जिसका कोई मालिक नहीं है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय के दिनांक 25.02.2016 के द्वारा पारित आदेश के द्वारा जब्त खाद्यान्न को बिक्री कर प्राप्त पूर्ण राशि को कोषागार में सरकारी खजाने में चालान से जमा करने का आदेश दिया गया था। जिसके आलोक में विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना के पत्रांक-782/अनु०, पटना दिनांक 14.05.2016 से बिक्री की पूर्ण राशि 1218125/- (बारह लाख हठारह हजार एक सौ पचीस) रुपये मात्र का चालान सं० 176 दिनांक 09.03.2016 के माध्यम से कोषागार में जमा करने की सूचना दी गयी है।

ऊपर वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त किसी की दावेदारी या मालिकाना अधिकार प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में मालसलामी थाना कांड सं० 30/16 में जप्त सामग्रियों (जप्ती सूची में यथा वर्णित) को आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा-6ए में प्रदत्त शक्ति के आलोक में राजसात (Confiscate) की जाती है। चूंकि खाद्यान्न की बिक्री कर राशि कोषागार में जमा की जा चुकी है अतः जब्त अन्य सामग्रियों को नियमानुसार निलाभी कर प्राप्त राशि को कोषागार में जमा करने हेतु आदेश विशिष्ट पदाधिकारी (अनुभाजन), पटना को दिया जाता है। इस आदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


16/5/18
समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।


16/5/18
समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।